तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/एल.आर./3231/2005/भरतपुर** **रामचरण बनाम प्रीतम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी।
2– श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक – 18.07.2025

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 सपठित धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के प्रकरण सं0 09/2003 में पारित निर्णय दिनांक 17–06–2005 व 22–06–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेशों से अप्रार्थी सं0 2 व 3 का नाम खातेदारी से कलमजन किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 का नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 के पूर्वजों व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवारा विचारण न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते के आधार पर दिनांक 07–08–1986 को विभाजन की डिक्री पारित की गयी थी। जिसके अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के खसरा नं0 795 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा हरिया पुत्र निहाला जाट जो अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता हैं, के नाम हिस्से में आया था। उसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 3231 / 2005 / भरतपुर** **रामचरण बनाम प्रीतम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसार हरिया को उक्त भूमि पर खातेदारी दी गयी थी। हरिया की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी सं0 2 व 3 को खातेदार दर्ज किया था। इस तथ्य को छिपाकर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत करके अप्रार्थी सं0 2 व 3 की खातेदारी कलमजन करवा कर अपने नाम दर्ज करवाने का आदेश प्राप्त किया है। इस बंटवारे को बन्दोबस्त विभाग की गलती बताकर किया था जबकि यह बंटवारा सहमति की डिक्री के आधार पर दर्ज हुआ था। अतः इस खातेदारी को धारा 136 के तहत निरस्त करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं था। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09–04–2003 से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को केवल इस हद तक स्वीकार किया था कि जो लिपिकीय त्रुटि खसरा नं0 795 से नये बने खसरा नं0 387, 388 व 522 में 0.08 है0 भूमि कम रही है। उसे अन्य खसरा नं0 407 व 523 से भूमि 0.08 है0 लेकर प्रार्थी को रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा पूर्ण कर दिया और प्रार्थीगण का शेष प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करते हुये पत्रावली फैसल शुमार कर दी गयी। सन् 2003 के बाद लगभग 2 वर्ष के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी के उसी प्रार्थना पत्र को पुनः नंबर पर लेकर दिनांक 17–06–2005 व 22–06–2005 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम कलमजन कर अप्रार्थी सं0 1 प्रीतम का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जो धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार से परे था क्योंकि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है तथा इसमें किसी खातेदार की खातेदारी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/एल.आर./3231/2005/भरतपुर** **रामचरण बनाम प्रीतम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं0 2 व 3 से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06-06-2003 को ही क्रय कर ली थी और खरीद के समय से ही प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेशों दिनांक 17-06-2005 व 22-06-2005 पारित करने से अप्रार्थी सं0 2 व 3 के बजाय प्रार्थीगण को नोटिस जारी कर सुना जाना चाहिये था किन्तु अप्रार्थी सं0 1, 2 व 3 द्वारा मिलीभगत के आधार पर बेचान का तथ्य छिपाकर प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं0 2 व 3 की खातेदारी में नहीं रही है क्योंकि वे जरिये बेचान अपने हक हकूक प्रार्थीगण के हक में हस्तानान्तरित कर चुके है तथा मौके पर आज भी वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 09-04-2003 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो लगभग दो वर्षो पश्चात् कानून से परे जाकर अपने पूर्व में निर्धारित किये गये धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को दुबारा नंबर पर लेकर अवैधानिक व क्षेत्राधिकार विहिन तथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर केवल मिलीभगत के आधार पर तथ्य को छिपाकर आक्षेपित आदेश प्राप्त किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 17-06-2022 तथा 22-06-2005 निरस्त किये जावे। 4- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के तर्को के विरोध करते हुए उसमें अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क दिये है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 3231 / 2005 / भरतपुर** **रामचरण बनाम प्रीतम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 17-06-2005 व 22-06-2005 से अप्रार्थी सं0 2 व 3 का नाम खातेदारी से कलमजन किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 का नाम खातेदारी दर्ज करने के उचित आदेश पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावे।

5- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17-06-2005 में अंकित किया गया है कि प्रार्थी श्यामसिंह की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि निर्णय दिनांक 09-04-2003 की अपील अति0 संभागीय आयुक्त के यहां हो चुकी है तथा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ अपील या स्टे की कोई प्रति पेश नहीं की गई है और ना ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथपत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण कार्यवाही को रोका जाना उचित नहीं माना गया तथा प्रार्थना पत्र शामिल मिसल हो। प्रार्थी प्रीतम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 दिनांक 29-04-2003 को स्वीकार किया गया। दिनांक 09-04-2003 को पारित निर्णय में विवादित आराजी खसरा नंबरान पर प्रीतम का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे तथा नारायण सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

इसके साथ ही आदेशिका दिनांक 22-06-2005 में अंकित किया है कि नकल दिये जाने के वक्त यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि नारायण सिंह के साथ गंभीर सिंह नाम अंकित होने से रह गया है। गंभीर सिंह का नाम नारायण सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/एल.आर./3231/2005/भरतपुर** **रामचरण बनाम प्रीतम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के साथ अंकित किया जावे। अतः निर्णय दिनांक 17-06-2005 में नारायण सिंह व गंभीर सिंह का नाम कलमजन किया गया है। 7- प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का बहस में मुख्य तर्क भी यही है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 के पूर्वजों व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवारा विचारण न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते के आधार पर जरिये सहमति डिक्री दिनांक 07-08-1986 किया गया था। जिसके अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के खसरा नं0 795 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा हरिया पुत्र निहाला जाट जो अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता है, के नाम हिस्से में आया था और उसी अनुसार हरिया को उक्त भूमि पर खातेदारी दी गयी थी। हरिया की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी सं0 2 व 3 को खातेदार दर्ज किया था। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा इस तथ्य को छिपाकर विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम प्रस्तुत करके अप्रार्थी सं0 2 व 3 की खातेदारी कलमजन करवाकर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का आदेश प्राप्त किया है। इस बंटवारे को बन्दोबस्त विभाग की गलती बताकर किया था जबकि यह बंटवारा सहमति की डिक्री के आधार पर दर्ज हुआ था। 8- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस खातेदारी को धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निरस्त करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं था। सन् 2003 के लगभग 2 वर्ष पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी के उसी प्रार्थना पत्र को पुनः नंबर पर लेकर दिनांक 17-06-2005 व 22-06-2005 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम कलमजन कर अप्रार्थी सं0 1 प्रीतम का नाम खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये गये जो कि धारा 136	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/एल.आर./3231/2005/भरतपुर** **रामचरण बनाम प्रीतम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार के विपरीत था।

भू–राजस्व अधिनियम की **धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण – भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार–अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे।**

धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत समरी ट्रॉयल होती है जिसमें केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है तथा इसमें किसी खातेदार की खातेदारी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतः अविधिक रूप से खातेदार की खातेदारी को परिवर्तित किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं होकर विधिविरूद्ध है। इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होकर विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त योग्य है।

9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में **स्वीकार** किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–06–2005 एवं 22–06–2005 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाकर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम) भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–08–1986 की पुष्टि की जाती है।

10– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य